बीसीए में प्रवेश के लिए 12वीं में गणित की बाध्यता खत्म : कुलपति

जागरण संवाददाता, देहरादून: वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि (यूटीयू) में बीसीए में प्रवेश के लिए 12वीं में गणित की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब 12वीं में जिन छात्र-छात्राओं का गणित विषय नहीं है, वह भी बीसीए के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विवि के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यह निर्णय विवि की विद्या परिषद की बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) का नया पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति भी विद्या परिषद की बैठक में दी गई। अब आनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। बताया कि बीसीए में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों को 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक अनिवार्य है। बीसीए के लिए आवेदन के पात्र अभ्यर्थी के लिए 12वीं में गणित होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 10वीं कक्षा में गणित विषय होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने वाले छात्र को बीसीए पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान ही प्रथम सेमेस्टर में गणित का ब्रिजकोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण नहीं होने पर छात्र का प्रवेश निरस्त माना जाएगा। ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण करने के लिए छात्र को बाह्य परीक्षा में 30 प्रतिशत और आंतरिक परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्रापत करना अनिवार्य है। ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का ग्रेस अंक नहीं दिए जाएंगे। कुलपति ने बताया कि विवि से संबद्ध टिहरी होटल मैनेजमेंट संस्थान में दो बर्षीय डिप्लोमा इन एडवेंचर टूरिज्म कोर्स को संचालित करने की तैयारियां परी कर ली गई हैं।

सभी विषयों में नए कानूनों को शामिल किया जाएगा

वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने बताया कि विद्या परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि विवि के सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रभावी किए गए नए आपराधिक कानूनों को ध्यान में रखते हुए ला विधाओं के सभी पाठ्यक्रमों में नए कानूनों को शामिल किया जाएगा।